

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 20 रूल 6-7 जाबता दिवानी)
(CIVIL PROCEDURE CODE, APPENDIX "D"-1)
अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम चूरु

ब इजलास : सुश्री श्वेता कोचर आर0ए0एस0

कुलदीपसिंह पुत्र पालसिंह जाति राजपूत निवासी जसरासर तहसील व जिला चूरु (राज.)
-वादी-

बनाम

1. अशोक पुत्र लिछमणराम जाति जांगिड़ निवासी रतननगर तहसील व जिला चूरु (राज.)
2. नन्दकिशोर पुत्र लिछमणराम जाति जांगिड़ निवासी रतननगर तह. व जिला चूरु (राज.)
3. इमरती पुत्री लिछमणराम जाति जांगिड़ निवासी रतननगर तहसील व जिला चूरु (राज.)
4. मन्जू पुत्री लिछमणराम जाति जांगिड़ निवासी रतननगर तहसील व जिला चूरु (राज.)
5. राजू पुत्री लिछमणराम जाति जांगिड़ निवासी रतननगर तहसील व जिला चूरु (राज.)
6. सम्पति पुत्री लिछमणराम जाति जांगिड़ निवासी रतननगर तहसील व जिला चूरु (राज.)
7. नोरंगराम पुत्र बस्तीराम जाति जांगिड़ निवासी रतननगर तहसील व जिला चूरु (राज.)
8. श्यामसुन्दर पुत्र बस्तीराम जाति जांगिड़ निवासी रतननगर तहसील व जिला चूरु (राज.)
9. मैना पत्नी बस्तीराम जाति जांगिड़ निवासी रतननगर तहसील व जिला चूरु (राज.)
10. दामोदर पुत्र नारायण जाति जांगिड़ निवासी रतननगर तहसील व जिला चूरु (राज.)
11. जुबैदा पत्नी मोहम्मदहुसैन जाति मुसलमान निवासिनी चूरु तहसील व जिला चूरु (राज.)
12. मोहम्मदआमीन पुत्र सरवरअली जाति कसाई निवासी झुन्झुनू तह. व जिला झुन्झुनू (राज.)
13. उप पंजीयक महोदय, चूरु तहसील व जिला चूरु (राज.)
14. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब, चूरु (राज.)

-प्रतिवादीगण-

दावा अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.ए.

मुकदमा नं. 38 सन् 2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रुबरु हमारे हाजरी श्री शिवगौतम सोलंकी एडवोकेट वादी, मिनजानिब मुदईब व पैरोकार राज मिनजानिब मुदाएलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि:-

तहसीलदार, चूरु से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के अनुसार दावा वादी स्वीकार किया जाकर अन्तिम रूप से डिक्री किया जाता है कि वादगत कृषि भूमि खेत खसरा नं. 76 तादादी 0.9738 हैक्टेयर व ख.नं. 87 तादादी 1.3025 हैक्टेयर कुल तादादी 2.2763 हैक्टेयर रोही थैलासर तहसील व जिला चूरु में वादी एवं प्रतिवादीगण का खाता विभाजन किया जाकर वादी का अलग खाता-व लगान निम्नानुसार कायम करने का आदेश दिया जाता है:-

क्र. सं.	नाम खातेदार	ख.नं.	तादादी हैक्टेयर में	किस्म	लगान
1.	कुलदीपसिंह पुत्र पालसिंह जाति राजपूत निवासी जसरासर खातेदार	76 मी.	0.2371	बारानी	0.60

उपखण्ड अधिकारी
चूरु

पत्नी बस्तीराम 4/129 हिस्सा,	76 मी.	0.7367	बारानी	1.90
नोरगराम पुत्र बस्तीराम 4/129 हिस्सा,	87	1.3025	बारानी	3.35
नन्दकिशोर पुत्र लिछमणराम 1/86 हिस्सा,	किता-2	2.0392	बारानी	5.25
सम्पत्ति पुत्री लिछमणराम 1/86 हिस्सा,				
मन्जू पुत्री लिछमणराम 1/86 हिस्सा,				
दामोदर पुत्र नारायण 4/43 हिस्सा,				
श्यामसुन्दर पुत्र बस्तीराम 4/129 हिस्सा,				
अशोक पुत्र लिछमणराम 1/86 हिस्सा,				
इमरती पुत्री लिछमणराम 1/86 हिस्सा,				
राजू पुत्री लिछमणराम 1/86 हिस्सा जाति				
जांगिड़ निवासी रतननगर, जुबैदा पत्नी				
मोहम्मदहुसैन जाति मुसलमान निवासी चूरु				
24/43 हिस्सा, मोहम्मद आमीन पुत्र सरवर				
अली 8/43 हिस्सा जाति कसाई निवासी				
झुन्झुनू खातेदार				



तहसीलदार, चूरु को डिक्री के अनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करने का आदेश दिया जाता है।

यह डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 07 माह अक्टूबर सन् 2019 को जारी की गई।

(श्वेता कोचर)
उपखण्ड अधिकारी, चूरु